

Instruction :-

1. आवेदन दर्ज करने के पूर्व आवेदन पत्र में भरे जाने वाले सभी अनिवार्य सूचना तथा निम्नलिखित दस्तावेज आवेदनकर्ता के पास उपलब्ध होने चाहिए।
 - (a) कृषि विभाग, बिहार के अन्तर्गत निबंधन संख्या।
 - (b) जमीन का रकबा।
 - (c) भूस्वामित्व प्रमाण-पत्र (L.P.C. Certificate Jpg format, Maximum Size 100 Kb)
 2. उपरोक्त दस्तावेज को स्कैन करके आवेदन के साथ Upload करना होगा।
 3. आवेदन भरने के लिए ऑनलाईन पोर्टल (dbtagriculture.bihar.gov.in/mwrđ) पर उपलब्ध "अनुदान आवेदन" Menu Option के अन्तर्गत "आवेदन करें" पर Click करने पर आवेदन पत्र खुलेगा।
 4. आवेदन पत्र भरने के लिए जमीन का रकबा (डिसमील में) दर्ज करना एवं भूस्वामी प्रमाण पत्र का Scan किया हुआ (JPEG Format में) Upload करना अनिवार्य है।
 5. आवेदन पत्र भरने के बाद उसे Save करने के लिए Submit बटन पर Click करें।
 6. आवेदन भरने के बाद Acknowledgement / Application No. Generate होगा। आवेदक उसे नोट कर के रख लें एवं Acknowledgement Receipt को प्रिन्ट कर लें।
 7. आवेदन दर्ज करने के बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है।
 8. "अनुदान आवेदन" "Menu Option" के अन्तर्गत "आवेदन की स्थिति" पर Click करके आवेदक अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति (Current Status) जान सकते हैं।
 9. स्वीकृति पत्र Generate होने के बाद किसान के Mobile पर इससे संबंधित Message चला जायगा।
 10. "अनुदान आवेदन" "Menu Option" के अन्तर्गत "स्वीकृति पत्र डाउनलोड करें" पर "Click" करके स्वीकृति पत्र को डाउनलोड एवं प्रिन्ट कर लें।
 11. दावा अपलोड करने के लिए " अनुदान आवेदन" "Menu Option" के अन्तर्गत "दावा अपलोड करें" पर "Click" करें, तथा आवेदन संख्या दर्ज करके दावा "Upload" किया जा सकता है।
- (Note:- पम्पसेट का दावा नलकूप दावे के बाद या दोनों एक साथ किया जा सकता है। पहले पम्पसेट के लिए दावा नहीं किया जा सकता है)